प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान में निर्माणाधीन लेक्चर हाल एवं लाइब्रेरी काम्पलेक्स के कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-01/595/2015 दिनांक 03-12-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में एस0जी0पी0जी0आई0 में निर्माणाधीन लेक्चर हाल एवं लाइब्रेरी काम्पलेक्स के कार्यो हेतु पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 89,04,55,000/- (रूपया नवासी करोड चार लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 8,46,52,000/- (रूपया आठ करोड छियालिस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। संसथान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्यमदों यथा-वुड वर्क कैबिनेटरी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिसटम, सी0सी0टीवी0, आडियो-वीडियो सिस्टम एवं फर्नीचर आदि के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अतः संस्थान निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
7) प्रायोजना में लाइब्रेरी बिल्डिंग हेतु वुड वर्क व कैबिनेटरी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, लेक्चर हाल एवं आडीटोरियम हाल हेतु आडियो वीडियो सिस्टम एवं लेक्चर हाल, आडिटोरियम व लाइब्रेरी हेतु फर्नीचर की आवश्यकता, औचित्य एवं लागत का परीक्षण प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा इन कार्यमदों हेतु पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रोयाजना में प्रस्तावित लागत के सापेक्ष कमी करते हुए लाइब्रेरी बिल्डिंग के वुड वर्क व कैबिनेटरी हेतु रू0 666.93 लाख, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम व सी0सी0टी0वी0 हेतु रू0 31.82 लाख, लेकचर हाल व आडीटोरियम के लिए आडियो-वीडियो सिस्टम हेतु रू0 238.21 लाख, लेकचर हाल, आडीटोरियम व लाइब्रेरी के फर्नीचर हेतु 177.53 लाख की सीमा के अंतर्गत जो लागत संस्तुत करेगी, प्रायोजना की लागत उस सीमा तक संशोधित मानी जायेगी। प्रायोजना की बढी हुई लागत हेतु प्रायोजना को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्कयता नहीं होगी।
8) प्रायोजनानतर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्चर पर निर्माण कराया जाना, सामान्य फाउण्डेशन के स्थान पर फाइल/राफ्ट फाण्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर संस्थान द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है

10) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

11) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/533/दस-2016, दिनांक 28 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-45/2016/1387(1)/71-2-15-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।